

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

-: कार्यालय आदेश :-

राजस्थान सरकार के मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत कार्मिक विभाग /राज्य सरकार, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर एवं मण्डल कार्यालयों के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करने के उपरान्त राज्य सरकार के आदेश क्रमांक ए-5(51) कार्मिक/ क-2 /88-1 दिनांक 29-4-99 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मृतक आश्रितों की संलग्न सूची के अनुसार कनिष्ठ सहायक पद के कुल 27 अभ्यर्थियों की अनुकम्पात्मक नियमों के तहत नियुक्ति का अनुमोदन किया जाकर जिला आवंटन हेतु विकल्प पत्र दिनांक 22.09.2020 को निदेशालय में व्यवस्थित हेतु निर्देशित किया जाता है ।

नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व निम्न शर्तों की पालना सुनिश्चित करेंगे :-

1. राज्य सरकार के मृतक आश्रितों में से लिपिक ग्रेड II के पद पर नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी करने से पूर्व आवेदकों की शैक्षिक/प्रशैक्षिक संबंधी योग्यता के मूल प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उनकी वैधता एवं मान्यता आदि की पूर्ण जांच करें एवं योग्यता के बारे में पात्रता रखने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करें। राज्य से बाहर की डिग्रियों/प्रमाण पत्र के सत्यापन/वैधता एवं मान्यता के संबंध में सावधानी पूर्वक प्रत्येक प्रकरण की जांच करेंगे।
2. मृत राज्य कर्मचारियों के परिवार का कोई भी सदस्य किसी सरकारी /केन्द्र/निगम बोर्ड या उपक्रम में कार्य ग्रहण तिथि तक नियोजित नहीं है इस हेतु अनुकम्पात्मक नियमों के नियम 5 के अनुसार शपथ पत्र आश्रित से प्राप्त करें । (मृतक की पत्नी पर यह नियम लागू नहीं होगा ।)
3. मृतक की पुत्री की नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया हो तो उसके पदस्थापन के समय तक वह अविवाहित है इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करें।
4. कार्मिक विभाग के परिपत्र आदेश दिनांक 27.02.01 द्वारा जारी निर्देशों की पालना में मृतक के आश्रितों के पालन पोषण/भरण पोषण करने संबंधी शपथ पत्र प्राप्त करेंगे । कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 27.02.01 की पालना नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकती है
5. दत्तक पुत्र पुत्रियों के संबंध में वैधता की जांच हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के प्रावधानुसार करेंगे ।
6. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1) कार्मिक (क-2) (95) दिनांक 08.04.03 के अनुसार दिनांक 01.06.02 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में नियुक्ति के पात्र नहीं माने जावेंगे, किन्तु राज्य सरकार (डीओपी) के आदेश दिनांक 29.10.05 के अनुसार विधवा की नियुक्ति में यह प्रावधान लागू नहीं होगा ।
7. संलग्न सूचियों में अंकित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक 7 (2)डीओपी/ए-11/06 दिनांक 20.01.06 एवं वित्त (नियम डीविजन) विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ 12 (6) एफ डी /रूल्स/06 दिनांक 13.03.06 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनिज के रूप में किया जा कर फिक्स रेमुनरेशन पर नियुक्ति अनुमोदन की जाती है ।
8. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनिज) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, मंहगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा ।
9. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनिज) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधानी निधि आदि की कटौती नहीं होगी ।
10. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये गणना योग्य नहीं माना जावेगा ।
11. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का ही आकस्मिक अवकाश देय होगा । पूर्ण कलेण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर आकस्मिक अवकाश अनुज्ञात किया जावेगा ।
12. प्रोबेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुनरेशन से पेंशन अंशदान की कटौती होगी ।
13. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(2) कार्मिक/ए-11/2006 दिनांक 05.07.10 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 21.09.10 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होना चाहिये तथा उक्त नियमों के अन्तर्गत कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 02.01.2017 व 04.05.2017 के अनुसार मृतक आश्रित को कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण करने की अर्हता नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष की अवधि में अर्जित करनी होगी। यदि उक्त अवधि में कम्प्यूटर योग्यता अर्जित नहीं करता है तो जितनी विलम्ब अवधि से वह कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करेगा उसका परिवीक्षाकाल उतनी ही अवधि का आगे बढ़ जायेगा। जिन प्रकरणों में शिथिलन प्राप्त है तथा जो प्रकरण कार्मिक विभाग से जरिए आदेश इस विभाग को स्थानांतरित है, उनसे संबंधित आदेशों में दी गई शर्तों की पूर्ण अनुपालना नियुक्ति अधिकारी अपने स्तर पर सुनिश्चित करें।
14. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी की टंकण परीक्षा अब कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 05.07.10 एवं 02.01.2017 के अनुसार कम्प्यूटर से ली जावेगी जिसे आश्रित को नियुक्ति के तीन वर्ष की अवधि में उत्तीर्ण करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावेंगे। इन्हें आगामी वेतन वृद्धि टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् ही देय होगी। कार्मिक (क-2) विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 07.09.09 के अनुसार मृत राज्य कर्मचारी की विधवा को टंकण परीक्षा करने से छूट दी जायेगी।

51

15. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करेंगे तथा नियुक्ति अधिकारी मृतक आश्रित के अर्हते आचरण का स्थापना सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक से करवाने के पश्चात् ही आदेश जारी करेंगे।
16. राज्य सरकार की अधिसूचना एफ-5(51)डीओपी/ए-11/88 पीटी जयपुर दिनांक 08.04.15 के अनुसार नियम-5 में हुए संशोधन की पालना सुनिश्चित करें।
17. यदि मृतक आश्रित प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है तो प्रथम प्राथमिकता प्रारंभिक शिक्षा के रिक्त पद पर दी जायेगी। रिक्त पद न होने पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही माध्यमिक शिक्षा में नियुक्ति आदेश जारी विन्ये जा सकेगा।
18. माध्यमिक शिक्षा सेटअप में स्वीकृत रटाफिंग पैटर्न के अनुसार ही पदस्थापन किया जाये।
19. कार्मिक(क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक पं.5(51) कार्मिक/क-2/88 पार्ट जयपुर दिनांक 31.05.2016 के अनुसार आवेदक विधासित है तो उसकी पत्नी/पुत्र/अविवाहित पुत्री यदि पूर्व से ही (नियम-5 में यथा परिभाषित) नियोजित है, को मृतक कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित न होने के कारण, नियम-2(ग) के तहत आश्रित की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। फलतः ऐसे पुत्र को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देय नहीं होगी।
20. जिन अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है उन्हें ऐसे पद पर नियुक्ति प्रदान की जावे जिसपर किसी प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं हो।
21. राज्य सरकार के आदेशानुसार धुमपान नहीं करने तथा दहेज नहीं लेने के सम्बन्ध में आवेदक से नियमानुसार शपथ-पत्र प्राप्त करें। जिन अभ्यर्थियों के प्रकरण में मृतक/आवेदक के नाम/उपनाम में विसंगति होने पर नियमानुसार यथेष्ट भाषा में शपथ पत्र लेवे।

चूंकि विभाग में कनिष्ठ सहायक/चश्रेक के लिए जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्ति अधिकारी हैं अतः उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुवे संलग्न सूची के अनुसार पदस्थापन आदेश 15 दिवस के भीतर जारी कर पदस्थापन आदेश 02 प्रतियों में इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवावें एवं आदेश की प्रति नोटिस बोर्ड पर चैसा करेंगे।

उक्त आदेश जारी कर दो प्रतियों उप शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राज0 जयपुर, एक प्रति उप शासन सचिव कार्मिक (क-2) विभाग, शासन सचिवालय, राज0 जयपुर को एवं इस कार्यालय को भी भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार (सूची)



(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/साप्र/ए-4/3901/नियुक्ति मूल/2020
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. उप सचिव (एम) मुख्य मंत्री सचिवालय, राज0 जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राज0 जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राज0 जयपुर।
4. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राज0 बीकानेर।
5. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा,संभाग को सूचनार्थ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक)..... को संलग्न सूची (कनिष्ठ सहायक के एवं चश्रेक के कुल प्रकरण) में उल्लेखित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र मूल में ही संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश में वर्णित समस्त निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुवे रिक्त पदों के अनुसार नियुक्ति आदेश जारी करवाकर पालना सुनिश्चित करावें।
7. श्री.....को देकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक)..... कार्यालय में देकर पावती लेकर आवे।
8. रटाफे आफिसर, निजी अनुभाग।
9. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग।
10. रक्षित पत्रावली।


उप निदेशक(प्रशासन),
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आवेदित पद :- कनिष्ठ सहायक

मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रित जिन्हें निदेशालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य साप्र/ए-4/3901/ नियुक्ति मूले/2020/ दिनांक 18.09.2020 के तहत 27 कनिष्ठ सहायक पद पर नियुक्ति का अनुमोदन दिए गए हैं। जिला आवंटन हेतु अभ्यर्थी विकल्प पत्र हेतु दिनांक 22.09.2020 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। (स्थिर पारिश्रमिक 14,600/- रुपये मासिक)

क्र.सं.	आवेदक का नाम, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि	मृतक से संबंध	आवेदन तिथि तथा आवेदित पद	मृतक का नाम मय पदनाम स्व. श्री/श्रीमती	मृत्यु तिथि
1	5	4	6	2	3
1	हरिसिंह बैरवा बीए 25.06.1993	पुत्र	12.02.2020 कनिष्ठ सहायक	पतराम बैरवा अध्यापक	19.11.19
2	सुनिता एमएससी 15.07.1987	पत्नी	01.11.2019 कनिष्ठ सहायक	लक्ष्मीकान्त नायक कनिष्ठ क-2	15.09.19
3	सजू सी.सै. 09.07.2000	पत्नी	17.07.2019 कनिष्ठ सहायक	जगदेव सिंह कुडी कनिष्ठ क-2	19.06.19
4	मोहित चौधरी सी.सै. 13.10.2001	पुत्र	01.12.2018 कनिष्ठ सहायक	रामकरण खैरवा अध्यापक प्राशि	02.11.18
5	प्रमोद कुमार सिलोलिया एमए 02.04.1997	पुत्र	19.03.2020 कनिष्ठ सहायक	रामचन्द्र सिलोलिया अध्यापक	30.01.20
6	अजय कुमार सी.सै. 29.05.1992	पुत्र	20.12.2019 कनिष्ठ सहायक	महावीर प्रसाद अध्यापक प्राशि	28.09.19
7	रजत वर्मा सी.सै. 24.10.1999	पुत्र	17.02.2020 कनिष्ठ सहायक	रामकिशन बधालिया कनिष्ठ सहायक	23.01.20
8	मीना यादव एमए 04.07.1986	पत्नी	14.05.2020 कनिष्ठ सहायक	श्रीराम यादव व्याख्याता	20.03.20
9	मीनाक्षी पीपलीवाल एमए 16.01.1979	पत्नी	14.02.2020 कनिष्ठ सहायक	मनोज कुमार प्रधानाचार्य	29.01.20
10	अजय कुमार सी.सै. 21.06.1998	दत्तक पुत्र	25.07.2016 कनिष्ठ सहायक	शशीप्रभा अवस्थी चश्रेक	21.04.00
11	अरुण यादव सी.सै. 21.10.1996	पुत्र	17.06.2016 कनिष्ठ सहायक	रामसिंह हैड कनिष्ठ क-2	07.09.13
12	दीपांशु बाकोलिया सी.सै. 20.04.2001	पुत्र	01.02.2020 कनिष्ठ सहायक	बाबूलाल बाकोलिया अध्यापक	01.01.20
13	दिनेश सैन एमकॉम 01.06.1988	पुत्र	29.04.2020 कनिष्ठ सहायक	विजय लक्ष्मी वर्मा अध्यापक प्राशि	07.04.20
14	विप्लव कुमार सी.सै. 16.11.1995	पुत्र	19.05.2020 कनिष्ठ सहायक	दयाशंकर रंगवा व.अ.	17.03.20
15	ईशा कुमारी गुप्ता एमए 25.11.1988	पत्नी	03.05.2020 कनिष्ठ सहायक	संजय कुमार व.अ.	05.02.20
16	मोहम्मद यासीन खान सी.सै. 05.03.1992	पुत्र	11.10.2019 कनिष्ठ सहायक	इब्राहिम खान प्रबोधक पराज	29.08.19

31

17	अजय कुमार बीए 20.10.1993	पुत्र	07.02.2018 कनिष्ठ सहायक	कृष्णावतार यादव घ.अ. प्राशि	29.12.17
18	मधु यादव बीए 08.03.1984	पत्नी	09.09.2019 कनिष्ठ सहायक	अनिल कुमार यादव अध्यापक पराज	13.08.19
19	परमेश्वर सिंह सी.सै. 10.05.2001	पुत्र	02.08.2019 कनिष्ठ सहायक	लूखसिंह घशेक	04.12.16
20	आशीष कुमार शर्मा एम कॉम 15.03.1994	पुत्र	05.03.2020 कनिष्ठ सहायक	भगवती प्रसाद शर्मा व्याख्याता	30.01.20
21	नीतू कुमारी भीणा एमए 16.11.1982	पत्नी	16.05.2020 कनिष्ठ सहायक	लादूराम भीणा वरिष्ठ अध्यापक	03.05.20
22	दुर्गेश नागर बीए 17.12.1997	पुत्र	05.03.2020 कनिष्ठ सहायक	रमेश कुमार नोगिया व्याख्याता	29.01.20
23	भूपेन्द्रपाल सिंह सी.सै. 29.12.1999	पुत्र	11.02.2016 कनिष्ठ सहायक	मोटसिंह चौहान प्रबोधक पराज	31.12.15
24	राकेश फुलवारी सी.सै. 01.07.1994	पुत्र	25.06.2020 कनिष्ठ सहायक	लक्ष्मणराम फुलवारी अध्यापक प्राशि	21.05.20
25	सुभाष सी.सै. 01.12.1994	पुत्र	16.05.2020 कनिष्ठ सहायक	गोपीचन्द पूनिया अध्यापक	19.03.20
26	रामप्रकाश बिसु बीए 20.06.1995	पुत्र	01.01.2020 कनिष्ठ सहायक	खीवराज अध्यापक	19.11.19
27	अलताफ खान सी.सै. 10.01.1997	पुत्र	11.03.2020 कनिष्ठ सहायक	अयूब खान खोखर अध्यापक प्राशि	09.02.20

नोट :- क्र.सं. 10, 11 एवं 19 के प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा वांछित शिथिलन प्राप्त हैं।

(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा/माध्य साप्र/ए-4/ 3901/ नियुक्ति मूल/2020/ दिनांक 18.09.2020

निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :-

उक्त अभ्यर्थियों द्वारा वांछित जिला चाहा गया जिनमें पद रिक्त नहीं होने के कारण संबंधित जिशिअ मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर/हनुमानगढ़/सीकर/झुंझुनूं/जयपुर/अलवर/जोधपुर/अजमेर/नागौर/भीलवाड़ा/टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त अभ्यर्थी को दिनांक 22.09.2020 को निदेशालय व्यक्तिशः उपस्थित होकर जिला आवंटन हेतु विकल्प पत्र प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक रूप से सूचित करें।

(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर